तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible]	
7/05/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण/ वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की आपत्ति प्रा०पत्र एवं मूल प्रा०पत्र धारा 251 A पर बहस सुनी गई। वास्ते मौका अवलोकन एवं आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 27/05/2025 को पेश हो। WA उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	
27/5/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्तागण/ आपत्ति प्रा०पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शा० मि०। पत्रावली फैसल शुमार होकर नामजद कम हो। WA उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती नीतू मीणा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 201/2017

1. लालाराम पुत्र स्व. श्री रंगलाल
2. आनन्दी लाल पुत्र स्व. श्री तेजाराम
3. कैलाश पुत्र स्व. श्री तेजाराम

सर्वजाति बैरवा, सर्वनिवासीगण ग्राम तिलोनिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान

बनाम – प्रार्थीगण

1. सुन्दरलाल उर्फ सुदामा पुत्र स्व. श्री जयनारायण, जाति ब्राह्मण (फोत) जरिये विधिक वारिसानः–
1/1 चन्दा देवी पत्नि स्व. श्री सुन्दरलाल उर्फ सुदामा (पत्नि फोत)
1/2 पवन कुमार पुत्र स्व. श्री सुन्दरलाल उर्फ सुदामा (पुत्र फोत)
1/2/1 रेणू पत्नि स्व. श्री पवन कुमार
1/2/2 नाबालिग लक्षिता पुत्री स्व. श्री पवन कुमार जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रेणू पत्नि स्व. श्री पवन कुमार
1/2/3 नाबालिग हर्ष पुत्र स्व. श्री पवन कुमार जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती रेणू पत्नि स्व. श्री पवन कुमार
1/3 रामकुमार पुत्र स्व. श्री सुन्दरलाल उर्फ सुदामा
1/4 मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री सुन्दरलाल उर्फ सुदामा
1/5 नीरू पुत्री स्व. श्री सुन्दरलाल उर्फ सुदामा
2. गोपाल लाल पुत्र स्व. श्री जयनारायण, जाति ब्राह्मण (फोत) जरिये विधिक वारिसानः–
2/1 सुशीला देवी पत्नि स्व. श्री गोपाल लाल
2/2 अरुण शर्मा पुत्र स्व. श्री गोपाल लाल
2/3 अर्चना देवी पुत्री स्व. श्री गोपाल लाल
2/4 रजनी कुमारी शर्मा पुत्री स्व. श्री गोपाल लाल
3. कमलकिशोर पुत्र स्व. श्री जयनारायण, जाति ब्राह्मण
4. चन्दा पुत्री स्व. श्री जयनारायण, जाति ब्राह्मण
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गोपालकृष्ण, जाति जाट सर्वनिवासीगण ग्राम तिलोनिया, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
6. युनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तिलोनिया जरिये शाखा प्रबन्धक
7. देना बैंक शाखा किशनगढ जरिये शाखा प्रबन्धक
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार ,किशनगढ

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः वकील प्रार्थी राजेन्द्र सिंह

वकील अप्रार्थी श्री महावीर मालाकर

निर्णय दिनांक 27.05.2026

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

...ाप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह ने एक ...र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज. का. अधि. 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण अनुसूचित जाति समुदाय के है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 एक ही राजस्व ग्राम तिलोनिया के निवासीगण है। प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त एंव खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम तिलोनिया पटवार हल्का तिलोनिया भू.अ.नि. क्षेत्र रलावता तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. में स्थित है, जिसके खाता नं. नये 38 पुराने 43, खसरा नं. 656 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी–ए, जिसमें प्रार्थी संख्या 01 का 1/2 हिस्सा एंव प्रार्थी संख्या 02 लगायत 03 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण तिलोनिया से तोलामाल जाने वाले रास्ते से जिसका ख.नं. 631 किस्म गे.मु. रास्ता है जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन है से चलकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की आराजी ख.नं. 655 से होकर अपनी आराजी ख. नं. 656 में पहुंचते है। उक्त रास्ते का उपयोग–उपमोग बेलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली से कृषि उपज लाने–ले जाने, खेत की बुआई जुताई करने, चारा लाने–ले जाने, मवेशी आने–जाने, कृषि उपकरण लाने–ले जाने व पेदल आने जाने हेतु अपने पूर्वजो के समय से निरन्तर अबाधित रूप से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही गे.मु. रास्ता ख.नं. 631 से प्रार्थना–पत्र अधीन आराजी ख.नं. 656 तक आने–जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 की आराजी ख.नं. 655 के मध्यभाग ए.बी. से सी.डी. पश्चिमी दिशा तक चलकर कर ख.नं. गे.मु. रास्ता 631 तक आते–जाते रहे है। उक्त विद्यमान रास्ते को जबरन बिना प्रार्थीगण की सहमति के अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 ने कांटो की बाड़ लगाकर बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण का एक मात्र रास्ता घर से आराजी ख.नं. 656 तक आने–जाने का बन्द हो गया है। उक्त आराजी तक पहुंचने का अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। अप्रार्थीगण प्रभावशाली व बाहुबली किस्म के व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, इस कारण प्रार्थीगण विरोध करने व प्रतिवाद करने में असमर्थ है, इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण को ख.नं. 631 गे.मु. रास्ता की पूर्व दिशा मार्क जी.एच. से मार्क इ.एफ. ख.नं. 656 की पश्चिमी दिशा तक 20 फीट चौडा रास्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की आराजी ख.नं. 655 के उत्तर दिशा में मार्क जी. एच. से मार्क इ.एफ. तक 20 फीट चौडा नया रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है, तथा प्रार्थीगण के पास न तो निकटतम् कोई अन्य मार्ग है और नही कोई वेकल्पिक मार्ग है। यदि उक्त प्रस्तावित मार्ग उपलब्ध न हुआ तो प्रार्थीगण का आराजी में काश्त करना असम्भव हो जाएगा तथा प्रार्थीगण का कृषि के अलावा अन्य कोई आमदनी का स्त्रोत नहीं है। नजरी नक्शा सलंग्न है। प्रार्थीगण श्रीमान द्वारा निर्देशित 20 फीट चौडे नये रास्ते की सारा खर्च चुकाने को तत्पर व आबद्ध है। प्रावधानुसार ख.नं. 631 मार्क जी.एच. से ख. नं. 656 तक मार्क ई.एफ. तक अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 ख.नं. 655 की उत्तरी दिशा में से होकर 20 फीट चौडे नये रास्ते का नाप चोक अनुसार डी. एल. सी. की दुगुना राशि अदा करने को वचनबद्ध है। ख.नं. 631 से मार्क जी.एच. लगायत ख.नं. 656 मार्क इ.एफ. तक 20 फिट चोडा नया मार्ग ख.नं. 655 कृषि आराजी खातेदारी में से निर्वापित करने व साथ ही 20 फीट चोडे नये रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के श्रीमान तहसीलदार महोदय किशनगढ को इस आशय के आदेश प्रदान करावे। प्रार्थना पत्र आराजी का वादकारण दिनांक 25/10/2017 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण अपनी कृषि उपज को लाने हेतु ट्रेक्टर–ट्रोली लेकर गये तब अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 ने पूर्वजो के समय से निरतन्तर, अबाधित ख.नं. 655 के मध्य भाग से ख.नं. 656 की पश्चिमी दिशा के लगते सार्वजनिक गे.मु.रास्ता ख.नं. 631 पर निकलने वाले रास्ते को अपनी आराजी ख.नं. 655 की सींव पर जबरन बलपूर्वक,

नीतू मीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

बिना प्रार्थीगण की सहमति के कांटो की बाड लगाकर बन्द कर दिया तथा रास्ता पुनः खोलने की कहने पर धमकी देने लगे कि हम ऊँची राजनितिक पहुंच वाले व्यक्ति है तेरे से जो बने कर लेना, अब तु रास्ता कोर्ट से ले ले, हम तुम्हे हमारी आराजी में से नही आने–जाने देंगे से लेकर आज दिनांक तक सतत् जारी है। अप्रार्थी सं. तहसीलदार महोदय किशनगढ लेण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार संयोजित करना आवश्यक हुआ। श्रीमान की सेवा में प्रार्थना पत्र पेश कर अनुरोध है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 655 के उत्तरी दिशा में से होकर ख.नं. 631 में दर्शित मार्क जी. एच. से लगाकर प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 656 तक दर्शित मार्क इ.एफ. तक प्रस्तावित नया 20 फीट चोडा मार्ग दिलाने की कृपा करावे, इस बाबत् प्रार्थीगण श्रीमान द्वारा आदेशित व डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 को नाप–चोक अनुसार अदा करने को तैयार है साथ ही साथ अप्रार्थी सं. को इस आशय के आदेश प्रदान करावे कि बाद आदेश प्रदत्त प्रस्तावित 20 फीट चोडे रास्ते को नया खसरा, खाता कायम कर नक्शा ट्रेस, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने व अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ख.नं. 655 में से निर्वापित करने के आदेश प्रदान करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.2017 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण को नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह जारी किये गये। दिनांक 04.02.2020 तक भी अप्रार्थीगण संख्या 01, 06, 07 के बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 31.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 03, 05 की ओर से वकील श्री रतनलाल चौधरी उपस्थित होकर अन्डरटेकिंग ली गई। दिनांक 2.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर मालाकर उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। दिनांक 16.03.2022 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश किया गया, अप्रार्थी संख्या 02 के विधिक वारिसान की ओर से वकील श्री जितेन्द्र शर्मा उपस्थित हुये। दिनांक 30.08.2022 को अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 की ओर से वकील श्री महावीर मालाकार द्वारा अन्डरटेकिंग ली गई। दिनांक 14.02.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 के विधिक वारिसान की ओर से वकील श्री महावीर मालाकार उपस्थित हुये। दिनांक 07.02.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 व अप्रार्थी संख्या 02 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत प्राथना पत्र को स्वीकार किया गया। दिनांक 09.04.2024 को वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया। दिनांक 15.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 2/3, 2/4, 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

3. तहसीलदार किशनगढ द्वारा पत्रांक/2024/4450 दिनांक 28.06.2024 के द्वारा मौके की रिपोर्ट पेश की गई जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम तिलोनिया स्थित खसरा संख्या 656 रकबा 1.2540 हैक्टेयर में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। प्रार्थी को अपनी उपरोक्त भूमि में आने जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 655 कुल रकबा 3.5434 हैक्टेयर में से 15 फीट चौडा रास्ता दिया जा सकता है जिसके लिये अधिग्रहित रकबा 0.0053 हैक्टेयर है जिसके लिये वर्तमान डी.एल.सी. दर 694505/– के अनुसार निर्वापित राशि 7362/– सात हजार तीन सौ बासठ रूपये बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई निकटतम मार्ग नहीं है।

4. दिनांक 29.09.2025 को अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त पटवारी रिपोर्ट गलत व मिथ्या बनाई गई है तथा उक्त मौका रिपोर्ट बनाते समय अप्रार्थीगण को काई सूचना नही दी गई तथा उक्त रिपोर्ट प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

व प्रार्थना पत्र अनुसार हल्का पटवारी अपने कार्यालय पर बैठकर बनाई गई है। हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर कोई रिपोर्ट नही बनाई तथा प्रार्थीगण के कहे अनुसार उक्त रिपोर्ट बनाई है। हल्का पटवारी द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 28.06.2024 द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य से रास्ता दर्शाया गया है। इससे अप्रार्थीगण की भूमि के दो टुकडे हो जायेंगे जबकि प्रार्थीगण के पास अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे से ई.एफ. जी.एच. दर्शाया गया जिससे अप्रार्थीगण सहमत है, तथा किसी खातेदार की भूमि के मध्य रास्ता दिया जाना कानून के विपरीत है। हल्का पटवारी मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार नही की है ऐसी स्थिति में उत्तर दिशा में स्थित ई. एफ.जी.एच. रास्ते की रिपोर्ट हेतु पुनः मौका नियुक्त किया जाकर रास्ते की वास्तविक रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण के पास अपने खातेदारी की खसरा नं. 656 की भूमि पर आने–जाने हेतु ई.एफ.जी.एच. रास्ता उपलब्ध है जिसका प्रार्थीगण अर्से दराज से उपयोग कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नं. 655 की भूमि के उत्तर दिशा में स्थित ई.एफ.जी.एच. रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट हेतु श्री तहसीलदार साहब, किशनगढ़ को आदेश प्रदान करावें।

5. दिनांक 16.02.2026 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 के विधिक वारिसान तथा अप्रार्थी संख्या 2/1, 2/2, 03, 05 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।
6. हमारे द्वारा वकील उभयपक्ष की आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई एवं तहसीलदार किशनगढ की प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा वादग्रस्त भूमि का हल्का पटवारी के साथ अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट एवं मौके अवलोकन से ताईद है कि आवेदनकर्ता की भूमि खसरा संख्या 656 में आवागमन हेतु तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 655 में से रास्ता ही निकटतम रास्ता है। खसरा संख्या 656 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को आवागमन हेतु निकटतम रास्ता खसरा संख्या 655 में से दिया जा सकता है जिसके लिये खसरा संख्या 655 कुल रकबा 3.5434 हैक्टैयर में से 0.0053 हैक्टैयर अधिग्रहित की जायेगी। ग्राम तिलोनिया के खसरा संख्या 655 की वर्तमान डी.एल.सी. दर 694505/– रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसके अनुसार रास्ते हेतु अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0053 वर्ग मीटर की निर्वापित दोगुना राशि 7362/– सात हजार तीन सौ बासठ रूपये बनती रूपये होती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता दिये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि में कृषि कार्य के आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध हो जायेगा, जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थीगण का विधिक अधिकार है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

प्रार्थना पत्र, तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट एवं वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम तिलोनिया स्थित खसरा संख्या 655 में से 15 फीट रास्ते के अनुसार 0.0053 हैक्टेयर, भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर 694505/– रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार ख0नं0 655 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0053 हैक्टेयर हेतु निर्वापित राशि की दोगुणा राशि

नीतू मीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

राशि 7362/– सात हजार तीन सौ बासठ रूपये रूपये होती है, जो प्रार्थी द्वारा, राजस्व मण्डल सिविल डिपोजीट के मद 8443–00–103–00–00 में प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0053 हैक्टैयर भूमि की प्रतिभूति राशि राशि 7362/– सात हजार तीन सौ बासठ रूपये तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रतिभूति राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 2024/4450 दिनांक 28.06.2024 के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 0.0053 हैक्टेयर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड में अंकित उनके हिस्से के अनुपात अनुसार नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़।